प्रेषक,

संख्या– 32 /1-10-2009-12(86)/2008

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती एवं फिरोजाबाद।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2009

विषयः वर्ष 2008–09 में आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकार किये गये समर्पण की सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–51 लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के अन्तर्गत आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष आपके जनपद से प्राप्त निम्नांकित अप्रयुक्त एवं कोषागार से अनाहरित अवशेष धनराशि का समर्पण स्वीकार कर लिया गया हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	शासन द्वारा स्वीकार की गयी समर्पित धनराशि
1	श्रावस्ती	578/आपदा–तेरह–2008 दिनांक 8.12.2008	129.44
2	फिरोजाबाद	3245/सी0आर0ए0(दे0आ0), दिनांक 20.11.2008	95.00
		योग :	224.44

2. कृपया दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता जनपद स्तर पर रोकी गयी धनराशि से किया जाय, परन्तु कोषागार नियम–27 से धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय। राहत वितरण हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर शासन को धनावंटन प्रस्ताव अविलम्ब पत्र वाहक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी/राजस्व अनुभाग–10 को उपलब्ध कराया जाय।

Samarpan-08

3. शासन द्वारा स्वीकार की जा रही समर्पण की धनराशि का यदि कोषागार से आहरण कर लिया गया हो, तो आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट को पत्र वाहक के माध्यम से शासन को समर्पित कर दी जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या– 32 (1)/1–10–2009–12(86)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, देवीपाटन एवं आगरा।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, श्रावस्ती एवं फिरोजाबाद।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।